संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका/सेल–5/मुरैना/एफ–07/2018/208 भोपाल दिनांक 30-1-18

प्रति,

डॉ.अरविन्द अग्रवाल,
चिकित्सा अधिकारी,
प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली,
जिला–मुरैना म.प्र.।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।

विषय:–आरोप पत्र– डॉ.अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला–मुरैना म.प्र.।

=0=

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित कदाचरण के लिये विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अथिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिन पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है, वह भी संलग्न है।

1. **आपसे इस पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि पत्र मिलने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतावें कि :–**

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजे।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप पत्रादि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–मुरैना से प्राप्त नहीं होता हैं तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

3. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्न :– 1. आरोप पत्र, 2. अभिकथन पत्र, 3. अभिलेखों की सूची, 4. गवाहों की सूची.

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित.

29/1

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्र./4/शिका/सेल.5/मुरैना/एफ–07/2018/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

02. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।

03. कलेक्टर, जिला मुरैना, म.प्र.।

04. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

05. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल, म.प्र.।

06. जिला कोषालय अधिकारी, मुरैना, म.प्र.।

07. उप संचालक अविज्ञप्त/लीगल स्थानीय कार्यालय।

08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना की ओर जारी आरोप पत्रादि की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आरोप पत्रादि डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला–मुरैना को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट एवं संबंधित से प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपने अभिमत सहित उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आरोप पत्रादि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

10. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.......3

:: आरोप पत्र ::

डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला– मुरैना, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :–

आरोप कमांक–1

यह कि आप डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला– मुरैना, मध्यप्रदेश में पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान कलेक्टर, मुरैना के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली, जिला– मुरैना का आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा निरीक्षण के दौरान आप डॉ. अरविन्द अग्रवाल उपस्थित मिले। आपके द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में डॉ. पंजाब सिंह एवं डॉ.संदीप शर्मा को सी. एल. अंकित किया जाना पाया गया। डॉक्टरों के अवकाश के संबंध में आवेदन संबंधी रिकार्ड मांगे जाने पर आपके द्वारा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पस्ट होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अवकाश संबंधी कोई रिकार्ड संधारित नहीं कराया जाता है।

आरोप कमांक–2

निरीक्षण के समय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक दिन में एक ही डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आते है तथा शिकायतकर्ता मेहरबान सिंह पुत्र राजाराम सिंह गुर्जर, निवासी–टिकटौली द्वारा उसकी बहु लाली की डिलेवरी के लिए रूपये 1000/– लिए जाने का आरोप लगाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली में पदस्थ डॉक्टर मुख्यालय पर निवास नहीं करते है। इससे स्पष्ट होता है कि चिकित्सक नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपस्थित नहीं होते है। अपना संस्था प्रभारी होने के नाते अपने अधीनस्थों पर कोई नियन्त्रण न होना तथा आप मुख्यालय पर निवास नहीं रहना पाया गया। अपने द्वारा कर्तव्यों के प्रति उदासीन एवं लापरवाही बरती जाना पाया गया।

इस प्रकार आप कदाचरण के कारण, दोषी हो गये है। इस प्रकार आप उक्त कदाचरण प्रकार आपने अपने पदीय कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, (3) के उप नियम, (i) (ii) (iii) का उल्लघंन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

स्वास्थ्य आयुक्त,द्वारा आदेशित।

29/1

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.......4

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला– मुरैना, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :–

आरोप कमांक–1 के लिये

यह कि आप डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला– मुरैना, मध्यप्रदेश में पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान कलेक्टर, मुरैना के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली, जिला– मुरैना का आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा निरीक्षण के दौरान आप डॉ. अरविन्द अग्रवाल उपस्थित मिले। आपके द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में डॉ. पंजाब सिंह एवं डॉ.संदीप शर्मा को सी. एल. अंकित किया जाना पाया गया। डॉक्टरों के अवकाश के संबंध में आवेदन संबंधी रिकार्ड मांगे जाने पर आपके द्वारा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पस्ट होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अवकाश संबंधी कोई रिकार्ड संधारित नहीं कराया जाता है।

आरोप कमांक–2 के लिये

निरीक्षण के समय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक दिन में एक ही डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आते है तथा शिकायतकर्ता मेहरबान सिंह पुत्र राजाराम सिंह गुर्जर, निवासी–टिकटौली द्वारा उसकी बहु लाली को डिलेवरी के लिए रूपये 1000/– लिए जाने का आरोप लगाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली में पदस्थ डॉक्टर मुख्यालय पर निवास नहीं करते है। इससे स्पष्ट होता है कि चिकित्सक नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपस्थित नहीं होते है। अपना संस्था प्रभारी होने के नाते अपने अधीनस्थों पर कोई नियन्त्रण न होना तथा आप मुख्यालय पर निवास नहीं रहना पाया गया। अपने द्वारा कर्तव्यों के प्रति उदासीन एवं लापरवाही बरती जाना पाया गया।

इस प्रकार आप कदाचरण के कारण दोषी हो गये है। इस प्रकार आप उक्त कदाचरण प्रकार आपने अपने पदीय कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, (3) के उप नियम; (i) (ii) (iii) का उल्लघंन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

स्वास्थ्य आयुक्त,द्वारा आदेशित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.......5

:: अभिलेखों की सूची ::

डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला– मुरैना, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप के समर्थन में निम्नलिखित आरोपों के संबध में अभिलेखों की सूची :–

1. कलेक्टर, महोदय जिला–मुरैना द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त महोदया को संबोधित अर्द्ध शासकीय पत्र क्र.स्था.–1–6/2017/787 मुरैना, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

::गवाहों की सूची::

डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमावली, जिला– मुरैना, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप के संबंध में गवाहों की सूची–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना ।
2. मौखिक साक्ष्य– श्री मेहरबान सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह गुर्जर, निवासी–टिकटौली, जिला–मुरैना ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश